

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 93/4030-भवन/जोन-1/2010-11 दिनांक 4/9/2012

विनियमितीकरण


यह विनियमितीकरण उ०प्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 के अन्तर्गत विनियमित किये जा रहे हैं, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर व्यवसायिक शमन मानचित्र विनियमित किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के नजिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के भित्तिकथ या सम्पत्ति के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्रीमती आशा गुप्ता पत्नी श्री विनोद कुमार गुप्ता स्थल नजूल फ्री होल्ड नूखण्ड संख्या 53/4 सिविल स्टेशन, लोहिया मार्ग, इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अन्तर्गत दक्षिण व्यवसायिक शमन मानचित्र के विनियमितीकरण निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किया जाता है :-

1. उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 165 (1) के प्रावधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्मित किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थानिय सन्धियों किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
4. स्थल पर एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सन्धियों विवरण अंकित करना होगा।
5. स्थल पर 03 वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हटा-मरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
6. स्थल पर समस्त आन्तरिक विकास कार्य जता पूर्ण कर उद्यत का संयोजन Existing Services से करना होगा।
7. स्थल का अधिभोग/उपभोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुरूप ही अनुमन्थ होगा।
8. मा० उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-29830/2009 में पारित होने वाले अन्तिम आदेश का अधारण पालन करना होगा।
9. स्थल पर रेनवाटर हावैस्टिंग प्रणाली नाला के अनुसार विकसित कर भू-गर्भ जल रिचार्ज की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
10. पूर्व स्वीकृत मानचित्र परमिट संख्या-152/जोन-3/उपजोन-6,7,8/08-09 दिनांक 02.06.2009 में अंकित प्रतिबन्धों का पालन करना होगा।
11. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना लिपिबद्ध सूचना दी गयी है तो उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 16 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
12. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है। यदि भूखण्डों का एन-विनायन अथवा पार्क एवं रोड इत्यादि का अतिक्रमण विकासकर्ता द्वारा किया जाता है तो इन्फिन्ट्रान्त द्वारा नियमानुसार उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुरक्षा धाराओं के अन्तर्गत कार्यपट्टी को जायेगी।
13. मकान निर्माण से यदि नाली के सहक की पट्टी अथवा सहक या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगलवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण बक गयी हो) को हटाने से पूर्व तो महसूची तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कृता तै पहले ही उसी अपने चर्चे से मत्नगत करके पूर्णतः अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
14. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटाय सकता है।
15. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस अवधि का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
16. यदि निर्माण में गारटर खान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माताओं को ही गई स्वीकृति स्व सन्धी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्रवाही आरम्भ की जायेगी।

संयुक्त सचिव/प्र०अ०-भवन
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

इलाहाबाद




SCHEDULE OF DIMENSIONS

NO.	DESCRIPTION	UNIT	AS PER SIZE
1	DOOR	D	1300 X 2500
2	WINDOW	W	1750 X 1870
3	GLAZING	G	AS PER SIZE

COMPOUNDING

J.N. FLOOR	SANCTION	COVERED	OPEN	GRAND TOTAL
1	1F	18876	20151	39027
2	2F	18806	20151	38957
3	3F	18806	20151	38957
4	MULTY	18806	20151	38957
5	PARADE	1847	21933	38980

TOTAL AREA OF PLOT = 38957 sq. ft.
 MAXIMUM GROUND COVERAGE = 19478 sq. ft.
 MAXIMUM COMPOUNDING = 1948 sq. ft.
 TOTAL MAXIMUM COVERAGE = 21426 sq. ft.



SACTION AND COMPOUNDING PLAN OF FREE HOLD SITE
 NO. 53, CIVIL STATION AND SUB PLOT NO. 53/4, CIVIL STATION
 DISTT - ALLAHABAD.

OWNER - SMT ASHA GUPTA AND SRI VINOD KUMAR GUPTA

SCALE = 1:1000

OWNER

DRAWN BY

DATE